

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना- अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 31 दिसम्बर, 2018

// आदेश //

वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में विभागीय प्रोन्नति कोटा की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्ति पर नियमित प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983/ 1997 में समय-समय पर हुये संशोधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 5(2) 5(3) 5(4) एवं नियम 16 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार तृतीय श्रेणी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-89(vi)/21/ पी/एस-5/2017-18 दि० 24-12-2018 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा प्रेषित उक्त संस्तुति के क्रम में श्री सुरेन्द्र कुमार तृतीय श्रेणी कर्मचारी को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 Rs. 9300-34800 + ग्रेड पे Rs. 4800) (दिनांक 01-01-16 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (रू० 47,600-1,51,100)) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग का नाम जिससे पदोन्नति प्रस्तावित है
1	2	3	4
1.	1114	सुरेन्द्र कुमार	(लिपिक संवर्ग)

- (क) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति मानी जायेगी।
- (ख) उपर्युक्त वाणिज्य कर, अधिकारी की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर, अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में अलग से नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।
- (ग) उक्त नव पदोन्नत वाणिज्यकर अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) मुख्यालय अपने कार्यालय में इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करे कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।
- (घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह वाणिज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत /व्यावहारिक प्रशिक्षण, वाणिज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने की किसी भी प्रार्थना को माना जायेगा।
- उक्त अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।
- उक्त पदोन्नति रिट या०स० 61917/ 2008 बाबू खॉ बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 10665 / 2006 एवं रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोशिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य एवं अवमानना याचिका सं० 3631/2018 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।
- उक्त आदेश निर्देश या० सं० 1279/ 2017 सुरेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य सरकार में मा० अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-10-18 के समादर की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।
- (ज) ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को पदोन्नति के पद पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आयोग के पत्र संख्या-89(vi)/21/ पी/एस-5/2017-18 दि० 24-12-2018 के सन्दर्भ में दो प्रतियाँ ।
- 2- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 5- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 6- ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे नव पदोन्नत उक्त वाणिज्य कर अधिकारी के कार्यभार करने की सूचना आन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से तथा हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 07-01-2019 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 8- जिलाधिकारी, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
- 9- ज्वाइंट कमिश्नर (सेवावाद) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 10- संबंधित अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 11- मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 12- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- ✓ 13- ज्वाइंट कमिश्नर(आईटी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को आदेश की एक प्रति तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 14- मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय ।
- 15- कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए स्थापना राजपत्रित अनुभाग वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 16- स्था0-2, पटल को संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
- 17- चरित्र पंजिका पटल को दो प्रतियाँ ।
- 18- संबंधित अधिकारी को नाम से।



31/12/18

(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)

ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

31/12/18